मध्य प्रदेश में नई औद्योगिक योजनाओं को स्वीकृति

*471. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई कौन-कौन सी नई औद्योगिक परियोजनाओं को चालू पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है ;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए अपने योजना दस्तावेज के अनुसार मध्य प्रदेश की आठवीं योजना मे वृहत तथा मध्यम उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत कोई नई स्कीम शामिल नहीं की गई है।

ग्राम तथा लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित नई स्कीमों को मध्य प्रदेश की आठवीं योजना में शामिल किया गया है :

विवरण

(लाख रु०)

स्कीम का नाम	परिव्यय
1. शहतूत रेशम उत्पादन विस्तार विकास कार्यक्रम . . .	702.16
2. हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए आकट्रॉय सुविधाएं . .	4.50
3. हस्तशिल्पी व्यक्तियों के लिए ब्याज सब्सीडी का पुनर्भुगतान .	2.31
4. प्रशासनिक भवन (एच एस वी एन) का विस्तार . .	25.00
5. हस्तशिल्प सोसायटी तथा सहकारिता के लिए वित्तीय सहायता .	15.00
6. संस्थानों तथा सोसायटियों को प्रबंधकीय सहायता . .	190.00
7. चमड़ा उद्योग	140.80
जोड़ : . .	1079.77

(ङ) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वार्षिक योजना में संसाधनों की कमी

472. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :**

श्री ईश दत्त यादव :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को वर्ष 1995-96 के लिए संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ब) क्या इस स्थिति में सुधार करने और इस तरह की कमी को पूरा करने हेतु कोई प्रयास किए गए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग) . (क) और (ख) वर्ष 1995–96 के लिए केन्द्र (संघ राज्य क्षेत्र सहित) के संदर्भ में अनुमोदित योजना परिव्यय अनुमोदित आठवीं योजना परिव्यय का 22.2 प्रतिशत है । राज्यों के मामले में वर्ष 1995–96 के लिए योजना परिव्यय (क्षेत्र कार्यक्रमों सहित). 23 राज्यों के अनुमोदित परिव्यय तथा शेष दो राज्यों अर्थात् बिहार और महाराष्ट्र के अनुमानित परिव्यय को मिलाकर अनुमोदित आठवीं योजना परिव्यय का केवल 18.5 प्रतिशत है जो 20 प्रतिशत की यथानुपात दर से कम है। राज्यों के मामले में अनुमोदित परिव्यय की तुलना में कमी के कारण चालू राजस्व से ऋणात्मक अतिशेष की वजह से संसाधन आधार में क्षरण पर काबू पाने के लिए एक आवश्यक मापमान पर संसाधन बढाने में उनकी असमर्थता है ।

(ब) और (घ) राज्यों के मामले में योजना व्यय में कमी उनकी वचनबद्धताओं के अनुसार संसाधन बढाने में उनकी असमर्थता से हुई है । अत: योजना व्यय में कमी से बचने के लिए उन्हें समय-समय पर संसाधन जुटाव के प्रयत्न बढ़ाने, राज्य स्तर के सरकारी उद्यमों के कार्य में सुधार, गैर-योजना राजस्व व्यय में मितव्ययता लागू करने, छोटी बचतों आदि के संग्रहण में सुधार की सलाह दी गई है ।

Creation and abolition of Coal Board

1473. SHRI PARMESHAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) in which year Coal Board came into existence and in which year this was obolished;

(b) what were the reasons for the contitution of Coal Board and what was its scope; and

(c) what were the considerations for the abolition of Coal Board?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) Coal Board was constituted in 1952 under the provisions contained in Section 4 of the Coal Mines (Conservation and Safety) Act, 1952 and it was abolished in 1975 under Section 12 (1) of Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974.

(b) The Coal Board was constituted primarily for maintenance of safety in coal mine and conservation of Coal. The scope of its activities inter-alia included:—

(a) Adoption of measures for assuring conservation of coal including assistance for stowing, washing, protective works, etc.

(b) Levy and collection of Excise Duty.

(c) Granting permission for opening and reopening of coal mines so as to ensure conservation of coal.

(d) Declaration of grade of coal produced at any mine.

(c) The Coal Mines (Conservation, Safety and Development) Act, 1952 providing for constitution of the Coal Board was enacted when the coal industry was almost entirely in the private sector. After the coal mines were nationalised it was felt that in the changed context the responsibility for effecting conservation of coal resources and other connected functions of Coal Board could be entrusted to the public under takings formed to operate the nationalised coal mines..